राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812, ई–मेलः– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0/स्वा0 प्रबं0/SSB Meeting/2019/783 दिनांक : 02/12/19

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 18.11.2019 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक, पदेन उपाध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग महो0 की उपस्थिति में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं अति. मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो एवं प्रयासों के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा आइटमस पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 28.05.2019 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया द्वारा प्रस्तुत की गई पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
2. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि निर्देशानुसार एमएनआईटी, जयपुर के सहयोग से इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध निर्धारित दायरे में आने वाली गर्भवती महिलाओं के डाटा का विश्लेषण कराया जाकर विश्लेषण रिपोर्ट को सम्बन्धित जिले में पुनः विश्लेषण/भौतिक सत्यापन हेतु भिजवाई गई इस सम्बन्ध में माननीय सदन के चर्चा उपरान्त अति0 मुख्य सचिव, महोदय ने जिला अलवर, चुरु व भरतपुर के डाटा की सम्पूर्ण विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की किये जाने के निर्देश प्रदान किये साथ ही निर्देश दिये कि डॉ. मोनिका शर्मा को इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध गर्भवती महिलाओं का अन्य डाटा विश्लेषण हेतु उपलब्ध करवाये जावें। डॉ. मोनिका शर्मा प्रतिनिधी एमएनआईटी से भी उपलब्ध कराये गये डाटा की गोपनीयता बनाये रखे जाने की सुनिश्चिता किये जाने हेतु भी निर्देश दिये।
3. उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से यह भी निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले सभी विज्ञापनों में भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत बाबत जारी व्हाट्सअप नम्बर 09799997795 व ईमेल का प्रचार–प्रसार हेतु अंकन कराया जावें।
4. उपाध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकल्पों/अनुभागों के कार्यो हेतु एक ही कॉल सेन्टर नम्बर के तहत एकीकृत किया जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में निर्देश दिये कि पीसीपीएनडीटी अधि. 1994 के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध. में प्राप्त शिकायतों हेतु आदि हेतु भी जारी नम्बर को भी इस में शामिल किया जावें।

Scanned by CamScanner

5. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 18(क)(8)(i) के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों का नब्बे दिवस में एक बार निरीक्षण किया जाना होता है और जिला जोधपुर, जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय में कार्यशील पंजीकृत केन्द्रों की संख्या 100 से भी अधिक होने के कारण इन जिलों में कार्यरत/नियुक्त एक–एक पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा निरीक्षण व अन्य कार्य समय पर नहीं हो पाते जिससे अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन होने में परेशानी है। अतः जिला जोधपुर में एक , जयपुर प्रथम में दो व जयपुर द्वितीय में एक अतिरिक्त पीसीपीएनडीटी समन्वयक की आवश्यकता है। माननीय सदन द्वारा इस सम्बन्ध में चर्चा कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लेने के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिये कि उक्त जिलों में अतिरिक्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक की आवश्यकतानुसार नियुक्ति हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जावे।

6. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि सम्पूर्ण राजस्थान को स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 34 भागों में बांटा गया है व सभी जिलों में जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक की नियुक्ति एनएचएम के अन्तर्गत की हुई है। परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) माननीय सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का राज्य में सन्तोषजनक रुप से क्रियान्वयन किया जा रहा है लेकिन इस अधिनियम का और अधिक रुप से प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने की महती आवश्यकता है। इस हेतू सभी जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयकों का एक जिले से दूसरे जिले में रिलोकेशन किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में सदन द्वारा चर्चा उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसे जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक जिनका वर्तमान पदस्थापन पर कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक हो गया है, को रिलोकेशन करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावें।

7. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, जयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संस्थान के अधीन आने वाले सभी चिकित्सालयों पर स्थित सोनोग्राफी मशीनों पर कार्य करने हेतु एक वर्ष पाठयक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त रेजीडेन्ट चिकित्सकों को अनुमति प्रदान की जावे ताकि सभी मरीजों को चिकित्सा सेवायें अबाधित रुप से प्रदान की जा सके। इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) ने अवगत करवाया कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, जयपुर के अधीन आने वाले सभी चिकित्सालयों का पंजीयन पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पृथक पृथक रुप से किया हुआ है और पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 3(3)(3) के अनुसार एक चिकित्सक एक जिले में अधिकतम दो पंजीकृत संस्थानों पर ही कार्य कर सकता है। माननीय सदन के चर्चा उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, जयपुर व्यापक जनहित में कार्य कर रहा है। व्यापक जनहित को देखते हुवे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, जयपुर से सम्बन्ध चिकित्सालयों को एक ईकाई के रुप में माना जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को मार्गदर्शन हेतू एक पत्र लिखा जावे।

8. श्रीमती शकुन्तला रावत, माननीय सदस्या एवं विधायक बानसूर जिला अवलर के सुझाव पर उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि सभी जिलों के समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी व जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थानीय प्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहकर आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करेगें।

Scanned by CamScanner

9. माननीय सदन द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के विभाग द्वारा किये जान रहे क्रियान्वयन के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या एवं भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं करवाये जाने बाबत जन–मानस में जागरूकता अभियान चलाये जाने के सुझाव पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति० पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि राज्य में आगामी महीनों में आमजन के बीच भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने हेतु जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि विभाग द्वारा खोले जाने वाले जनता क्लिनिक में भी आवश्यक रुप से पीसीपीएनडीटी के प्रसार–प्रचार एवं गोपनीय सूचना हेतु जारी मुखबिर योजनाओं के बैनर या आईईसी सामग्री का प्रदर्शन किये जावे।

10. श्रीमति शकुन्तला रावत, माननीय विधायक, बानसूर जिला अलवर ने सुझाव दिया कि भ्रूण लिंग परीक्षण जैसे घिनौने कृत्य को रोकने के लिये ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक जीवित लड़की है, उन सभी लड़कियों को एक ईकाई माना जावे ताकि किसी भी सूरत में प्रत्येक व्यक्ति लड़का होने की चाहत में लड़की होने के डर से भ्रूण लिंग परीक्षण न करवाये और कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध ना करे। इस पर परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी द्वारा परिवार की प्रत्येक 2 लड़कियों को 1 इकाई के रूप में माने जाने का मत माननीय बोर्ड के समक्ष रखा माननीय बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सुझाव दिया गया कि इस प्रस्ताव को विचारार्थ राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना उचित रहेगा।

11. उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि सभी सोनोग्राफी मशीनों को आईएमईआई नम्बर जारी करने के लिये भारत सरकार को एक पत्र लिखा जावे ताकि सोनोग्राफी मशीनों को मोबाईल उपकरण की भांति ट्रेकिंग की जाकर सही स्थिति का पता लगाया जा सके।

- बैठक लगभग दो घण्टे चली।
- बैठक का समापन अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं अति. मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।
- आगामी बैठक का अधिनियमानुसार आगामी चार माह के अन्तर्गत आयोजित कि जायेंगी।

अतिरिक्त निदेशक (प0क0) एवं
सदस्य सचिव, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. श्रीमती शकुन्तला रावत, माननीय विधायक, बानसूर जिला अलवर, एफ–9, विधायकपुरी जयपुर। **(pwccra@gmail.com)**
3. श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, किशनगंज जिला बारां, एन–39, गांधी नगर, जि जयपुर। **(nirmlasahariya88@gmail.com)**
4. श्रीमती मंजू देवी, माननीय विधायक, इण्डियन पब्लिक स्कूल, बाईपास रोड, जायल जिला नागौर। **(omprakash941336@gmail.com)**
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)
8. निजी सचिव शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email:- adc.wcd@rajasthan.gov.in) (Email:- director.wcd@rajasthan.gov.in)
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(Email:- dir.ayu@rajasthan.gov.in) (Email:- addldir.ayu@rajasthan.gov.in)
10. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. श्री बी.एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
14. श्रीमती कविता मलिक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) निवासी– 194, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड़, जयपुर। (Email :- kavitamalikjaipur@gmail.com)
15. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर।(Email:- rajmedcouncil@yahoo.co.in)
16. निजी सहायक, निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
17. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
18. डॉ0 एस.एल. शर्मा, सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान विभाग, ई–3, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर(Email :- drsls14@hotmail.com)
19. श्री एस.पी. दाधीच, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
20. डॉ. पायल भारद्वाज, महिला कार्यकर्ता, राजस्थान जयपुर।
21. मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 396, उद्योग नगर निवारू रोड, झोटवाडा, राजस्थान जयपुर (Email :- manjusharma3041@gmail.com)
22. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, मैक्सवेल हॉस्पिटल झोटवाडा रोड दूध मण्डी चौराहा, राजस्थान जयपुर (Email :- apmat87@gmail.com
23. डॉ. इन्दू गौतम, सहायक आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, जनाना हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर (Email :- indug75@gmail.com, mrc.jaipur@hotmail.com)
24. डॉ. विवेक शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
25. डॉ. एम. एल. गुप्ता, आनुवांशिकी विज्ञानी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर ((Email :- drmlguptajpr@yahoo.com, pediatricemedicinesms@gmail.com)
26. डॉ. राजीव आहूजा, रेडियोलॉजिस्ट, 37 लक्ष्मण पथ श्याम नगर, सोडाला, राजस्थान जयपुर (Email :- drrajivahuja@rediffmail.com)
27. डॉ. मनीष कुमार जैन, सोनोलॉजिस्ट, राजस्थान जयपुर।
28. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर। (Email:- amitakashyap1@gmail.com)
29. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
30. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
31. संयुक्त निदेशक, जोन समस्त राजस्थान।
32. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान राजस्थान (**जरिये जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक**)।
33. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

Scanned by CamScanner

34. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान (**जरिये जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक**)।
35. श्री मनोज प्रकाश, वैज्ञानिक–डी एनआईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
36. सलाहकार आईटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस को पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति की समुचित व्यवस्था करावें।
37. प्रभारी पीबीआई / प्रभारी अपराध शाखा / विधि विशेषज्ञ, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / राज्य समन्वयक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार आईईसी / सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
38. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
39. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

Scanned by CamScanner